राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 12 मई, 1983

क्रमांक **546**-ज(II)-83/15494.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री शिवनारायण, पुत्र श्री देवकरण, गांव खंडोड़ा, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी 1978 से खरीफ 1979 तक 150/- रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300/- रुपए वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **556** ज(II)-83/15498.—श्री श्री चन्द, पुत्र श्री श्यो राम, गांव सुण्डाना, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 7 जनवरी, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्री चन्द को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 65-ज(II)-76/6950, दिनांक 5 मार्च, 1976 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(II)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जैकल के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **557**-ज(II)-83/15502.—श्री लेहरी सिंह, पुत्र श्री गिरधारी लाल, गांव सिंहपुरा कलां, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लहरी सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6219-आर-(III)-70/2475, दिनांक 27 जनवरी, 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मिश्री देवी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 मई, 1983

क्रमांक **420**-ज(I)-83/16104.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री जगत सिंह, पुत्र श्री अच्छर सिंह, गांव निवारसी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, को खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **554**-ज(II)-83/16108.—श्री शादी राम, पुत्र श्री सुण्डु, गांव दुबलधन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 17 सितम्बर, 1977, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शादी राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2031-आर(4)-67/1691, दिनांक 24 मई, 1967, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती बदामो के नाम रबी, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **244**-ज-II-83/16112.—श्री दफेदार सिंह, पुत्र श्री हरफूल, गांव उजीना, तहसील नूह, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 25 जून, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दफेदार सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2627-ए-III-71/17409, दिनांक 16 जून, 1971, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती झंझोला देवी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।